आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 37 /इंदौर /2017
निर्धारण वर्ष : 2011-12

आयकर अधिकारी-2 (4), इंदौर	बनाम	श्री मांगीलाल चौधरी, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- बीजीएनपीएम 9696 एल		

आ. अ. सं. 67 /इंदौर /2017
निर्धारण वर्ष : 2011-12

श्री मांगीलाल चौधरी, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी-2 (4), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- बीजीएनपीएम 9696 एल		

राजस्व की ओर से :	श्री आर.पी.मौर्य, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
निर्धारिती की ओर से :	श्री प्रकाश जैन तथा कु. श्रेया जैन, सीए

सुनवाई तिथि :	18.12.2018
उद्घघोषणा तिथि :	19.12.2018

आदेश

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित राजस्व तथा निर्धारिती की ये प्रति अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-I, इंदौर के आदेश दिनांक 28.10.2016 के विरुद्ध निदेशित हैं ।

आ.अ.सं. 37/इंदौर/2017

2. सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस अपील में कर प्रभाव विनिहित सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.टी द्वारा जारी अनुदेशों तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की दृष्टि में विभाग को यह अपीले दाखिल नहीं करना चाहिए थी ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि अभिलेख पर कोई प्रतिकूल सामग्री लाकर उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सकें ।

4. हमने अभिलेख का अध्ययन किया है । हमने पाया कि इस प्रकरण में अंतर्ग्रस्त कर विनिहित सीमा अर्थात 20 लाख से कम है जैसा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र सं. 3/2018 दिनांक 11.07.2018 में निहित है । आयकर अधिनियम की धारा 268 ए के अधीन दी गई शक्तियों के अनुपालन में अधिकरण के समक्ष कोई अपील दाखिल नहीं की जानी चाहिए यदि कर प्रभाव रू. 20 लाख से अधिक नहीं है । इस संबंध में "कर प्रभाव" का अर्थ निर्धारित कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो प्रभार्य होता यदि कुल आय में से उन मुद्दों से संबंधित आय, जिनके विरूध्द अपील दाखिल करना आशयित है, को

घटाया गया होता । यह परिपत्र इसके अतिरिक्त कथन करता है कि कर में उस पर कोई ब्याज शामिल नहीं होगा, सिवाए उसके जहाँ ब्याज की प्रभार्यता स्वयं ही विवादाधीन है । हमने इसके अतिरिक्त पाया कि परिपत्र के परिच्छेद 13, जो निम्न रूप से उद्धृत है, में यह उल्लिखित है कि यह अनुदेश लंबित अपीलों पर भी लागू होगा ।

> *" यह परिपत्र इसके आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय / अधिकरण के समक्ष दाखिल एसएलपी/अपीलों/प्रत्याक्षेपों/ संदर्भों पर लागू होगा और यह भूतलक्षी रूप से लंबित एसएलपी/अपीलों/प्रत्याक्षेपों/ संदर्भों पर लागू होगा । ऊपर परिच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट कर सीमा के नीचे की लंबित अपील को वापिस लिया जाए/ दबाव नहीं डाला जाए । "*

5. आक्षेपित प्रकरण में, हमने पाया कि विवादाधीन मुद्दे रू. 20 लाख से अधिक नहीं है । इस तथ्य की दृष्टि में, अनुदेश के अनुसार राजस्व को इस अपील पर दबाव डालना अपेक्षित नहीं है । अतः, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपील को प्रकरण के गुणागुण पर विचार किए बिना आरंभतः खारिज करते है क्योंकि हमारे मत से सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्र अधिनियम की धारा 268ए(1) के उपबंधों की दृष्टि में विभागीय अधिकारियों के लिए अनिवार्य है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवनीत लाल झवेरी बनाम एएसी 56 आईटीआर 198 (एससी) प्रकरण में कथित दृष्टिकोण लिया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्टर ऑफ इंकम टैक्स बनाम एस.आर.एम.बी डेयरी फार्मिंग (प्रा) लि. के प्रकरण में सिविल अपील सं. 19650/2017 में राजस्व की अपील खारिज करते समय आयकर आयुक्त सेन्ट्रल-III बनाम सूर्या हर्बल्स लि. के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश न्यायपीठ निर्णय का अनुसरण किया है और अभिधारित किया है कि परिपत्र

लंबित मामलों पर भी लागू होगा । तद्नुसार, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज करते है ।

<u>आ.अ.सं. 67/इंदौर/2017</u>

6. निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आ.अ.सं. 67/इंदौर/2017 में निर्धारिती की अपील पर दबाव नहीं डाला गया । अतः यह अपील दबाव नहीं डाले जाने के कारण खारिज की जाती है ।

6. परिणामतः, राजस्व तथा निर्धारिती की अपीलें खारिज की जाती हैं ।

आदेश 19.12.2018 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मनीष बोरड)	(कुल भारत)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 19.12.2018

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल